न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–1048 सन् 2013

दिनेश पाठक.....वादी

बनाम

अवधेश पाठक.....प्रतिवादी

दिनांक– 17.01.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 01 नियम 10 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 23.12.2019 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि दिनांक 08.08.2019 को प्रतिवादी ने तकरारी खेसरा के अंश के निस्वत अपनी पतोहू पुनम देवी के नाम से लिखित नाजायज बैनामा की प्रति दाखिल की। जिसकी जानकारी वादी को पहले नहीं थी। बदली हुई परिस्थिति में पुनम देवी को वर्तमान वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि पुनम देवी पति–ओम प्रकाश पाठक को अर्जीदावी में प्रतिवादी सं0 02 बनाने का अनुमति दी जाए।

प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 24.01.2020 को उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया जिसमें उनका कथन है कि प्रस्तुत वाद में वादी का आवेदन विलंब, नजायज एवं कालबाधित है। इस वाद के प्रतिवादी अवधेश पाठक द्वारा अपने जीवनकाल में दाखिल बयान तहरीरी दिनांक 11.02.2014 के पैरा–16 में यह स्पष्ट रूप से बयान किया जा चुका है कि प्रतिवादी द्वारा बजरिये दो किता बैनामा दिनांक 25.09.2013 एवं 27.09.2013 के द्वारा अपने तकरारी जमीन के हिस्से की दखली एराजी अपने पतोहू पुनम

देवी के नाम से जरसमन की एराजी प्राप्त कर बैनामा की तहरीर, निष्पादित कराकर उस पर दखल कब्जा बतौर कास्तकार कब्जा करा दिया है। वादी ने ही वादी साक्षी सं0 01 के रूप में अपने शपथ पत्र के पैरा–17 में प्रतिवादी के बयान तहरीरी के पैरा–16 का खंडन किया है। वादी को समय सीमा के अंतर्गत वाद दाखिल करने के पूर्व तकरारी एराजी की कुल जानकारी होने के बाद भी आवश्यक फरीक के रूप में पुनम देवी का नाम जानबूझकर नहीं दाखिल किया। फलस्वरूप वादी का आवेदन दिनांक 23.12.2019 पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी की ओर से प्रतिवादी के विरूद्ध दाखिल कर विवादित भूमि जमीमा नं0 02 की जायदाद खाता सं0 89 सर्वे नं0 45 पर पूर्ण स्वामित्व एवं हकियत की घोषणा हेतु दाखिल किया है। वादी ने अपने आवेदन में लिखा है कि दिनांक 08.08.2019 को प्रतिवादी ने तकरारी खेसरा के अंश के निस्वत अपनी पतोहु पुनम देवी के नाम से लिखित नाजायज बैनामा की प्रति दाखिल की है। इसकी जानकारी वादी को प्रस्तुत वाद को दाखिल करने के पूर्व नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में वादी की ओर से दाखिल आवेदन पोषणीय है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 23.12.2019 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे पुनम देवी को प्रस्तुत वाद में पक्षकार बनाये।

वाद दिनांक 28.02.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।